उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,आगरा–क्षेत्र

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आगरा–क्षेत्र के "ए" एवं "बी" श्रेणी के बस स्टेशनो पर खाली पड़े ठेको की नीलामी निविदा द्वारा दिनांक 23.11.2016 को कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम,96ग्वालियर रोड़, आगरा पर होगी।

1. निविदा क्रय करने की तिथि — 18.11.2016 से 22.11.2016
2. निविदा जमा करने की तिथि — 23.11.2016 (14:00 बजे तक)
3. ठेका अवधि — (साइकिल / मो0सा0 / स्कूटर / कार स्टैण्ड–एक वर्ष एवं अन्य ठेकों की तीन वर्ष)

कम संख्या	बस स्टेशन का नाम	ठेके का नाम	आरक्षित मूल्य रूपये में प्रतिमाह
1	फा0नगर(बिजलीघर)	पेठा–गजक स्टाल	रू. 22000.00
2	फा0नगर(बिजलीघर)	शौचालय	रू. 61500.00
3	ईदगाह	बुक स्टाल	रू. 4000.00
4	आई0एस0बी0टी0	पेठा–गजक स्टाल (दुकान संख्या –01)	रू. 71500.00
5	आई0एस0बी0टी0	साइकिल / मोटरसाइकिल / स्कूटर एवं कार स्टैण्ड (पार्किंग)	रू.118800.00
6.	पुराना बस स्टेशन,मथुरा	एसटीडी / पीसीओ / फैक्स	रू. 3550.00
	पुराना बस स्टेशन,मथुरा	साइकिल / स्कूटर स्टैण्ड	रू. 7000.00

केन्टीन / स्टाल्स / बसों में परिवहन परिवहन निगम द्वारा अनुमोदित ब्राण्ड की पानी की बोतल बिकी नहीं होगी।

निविदादाता की निविदा फार्म के साथ ऑफर की गयी धनराशि का तीन माह के सम्तुल्य राशि का बैक ड्राफ्ट भी धरोहर राशि के रूप में जो कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम, आगरा के पक्ष मे देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना उसकी निविदा अमान्य होगी तथा समिति द्वारा उपयुक्त पाई गयी निविदा सापेक्ष निविदादाता के डिफाल्ट होने पर यह अनिवार्यतः जब्त कर ली जायेगी। निविदा फार्म रू0 20.00 (रू0 बीस मात्र) के नकद भुगतान पर दिनांक 22.11.2016 तक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम,96,ग्वालियर रोड़ आगरा से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल / मोटर साइकिल / स्कूटर एवं कार स्टैण्ड प्रतभूति के रूप के लिए प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित पाकिंग निविदा राशि (सम्पूर्ण एक बर्ष का) की 25 प्रतिशत धनराशि के सम्तुल्य धनराशि का बैंक ड्रापट प्रतिभूति के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा जो क्षेत्रीय प्रबन्धक ,उत्तर प्रदेश परिवहन निगम,आगरा के पक्ष में देय होगा। किसी भी दशा में चेक मान्य नहीं होगा। निविदा राशि के 25 प्रतिशत धनराशि से कम संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट होने की स्थिति मे निविदा पर विचार नही किया जायेगा। क्षेत्रीय समिति द्वारा निविदा स्वीकृत किये जाने के पश्चात तीन दिन के अन्दर निविदाकर्ता को सम्पूर्ण ठेका अवधि (एक वर्ष) की निविदा राशि व 2.266 प्रतिशत आयकर एवं सेवाकार की तत्समय प्रचलित दर सहित धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नगद / ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। ऐसा न किये जाने पर पूर्व मे जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा नयी निविदा आंमत्रित करने हेतु उ0प्र0 परिवहन निगम स्वतंत्र होगा तथा ठेके से सम्बन्धित शर्ते किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में देखी जा सकती है। किसी भी निविदा को

Downloaded from www.upsrtc.com

स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी में सुरक्षित रहेगा। स्वीकृत निविदा दर पर निर्धारित सेवा कर ठेकेदार को मासिक किश्त के साथ जमा करना होगा। चाल–चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारियों से कराकर तथा अपनी रंगीन फोटो (पासपोर्ट साईज की) किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर निविदा फार्म के साथ संलग्न किया जाना होगा। अन्य ठेको के निविदा प्रपत्र के साथ क्षेत्रीय स्तर के स्टाल एवं दुकानो के आवंटन हेतु रूपये 10,000.00 तथा डिपो स्तर के लिये रूपये 2000.00 अर्नेस्ट मनी जमा करानी होने के लिये धरोहर राशि जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या 54एफए/12–177एफए/01 दिनांक 09.01.2012 पत्र संख्या 1200 एफए/12–177 एफए/01 दिनांक 11.05.2012 पत्र संख्या 1201 एफए/12–177 एफए/01 दिनांक 11.05.2012 पत्र संख्या 1199 एफए/12–177एफए/01/07 पार्किंग/12, दिनांक 11 मई, 2012 के अनुपालन में पी0पी0पी0 योजना को दृष्टिगत रखते हुये, स्टाल एवं कैन्टीन तीन माह की पूर्व नोटिस देते हुये ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ठेकेदार/व्यक्ति को जो कैन्टीन/स्टाल/दुकान की निविदा स्वीकृत की जायेगी उसको निर्धारित स्थान पर संचालित करना होगा और ठेकेदार द्वारा कैन्टीन/स्टाल/ दुकान से सम्बन्धित आइटम/सामान का ही विक्रय किया जायेगा। अन्य शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। अधिकतम् निविदा राशि को स्वीकृत करने/निरस्त करने का अधिकार समिति में निहित होगा। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय समिति का होगा। ऐसे ठेकेदार/फर्म जो निगम के ठेके का किराया जमा न कर रहे हों, या जमा न किया गया हो, वह निविदा हेतु अयोग्य माने जायेगे। पूर्व में जिस ठेकेदार का परिवहन निगम के साथ किसी ठेके के सम्बन्ध में विवाद/मुकद्दमा चल रहा था अथवा वर्ममान में चल रहा है वह निविदा प्रकिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा तथा वह स्वंय अथवा अपने नोमनी,भाई परिवार के सदस्य एवं अन्य रिश्तेदार के माध्यम से निविदा प्रकिया में भाग लेने के लिए सक्षम नही होगा।

(एस.के.शर्मा)
क्षेत्रीय प्रबन्धक,आगरा।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,आगरा।

पत्र सं0– जी–2/ठेका/नीलामी/16– 10575 दिनांकः– 18/11/16

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय,आगरा।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन),परिवहन निगम मुख्यालय,लखनऊ।
3. प्रधान प्रबन्धक(मार्केटिंग),परिवहन निगम मुख्यालय,लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।
5. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, आगरा क्षेत्र।
6. समस्त डिपो प्रभारी, आगरा क्षेत्र।
7. समस्त नोटिस बोर्ड, आगरा क्षेत्र।
8. समस्त ठेकेदार,आगरा क्षेत्र।

क्षेत्रीय प्रबन्धक,आगरा।

Downloaded from www.upsrtc.com